जेपीडी–1191

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

CIN: U40109RJ2000SGC016486
(राजस्थान सरकार का उपकम)
"प्रभास्मि शशि सूर्ययोः"
पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005
दूरभाष : 0141–2740264, 2740381 विस्तार : 1436 फैक्स: 0141–2740264
Website: http://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl E-mail :caoia@jvvnl.org

क्र. जेपीडी/मु. ले. (आं. अं.)/ले. (नियम)/पत्रा.20/प्रे. 853 जयपुर दिनांक: 23/5/2018

कार्यालय–आदेश

माह दिसम्बर 2017 तक की विद्युत चोरी/दुरूपयोग की लम्बित सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) के निस्तारण हेतु निगम आदेश कमांक जेपीडी/अ.अ.(वा.)/सी–1/प./प्रे. 2918 दिनांक 27.04.2018 (जेपीआर 5–947) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अंतर्गत संबंधित पवस उपखण्ड के सहायक अभियंता को उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता से निर्धारण राशि 50,000/– रू. (प्रशमन + सिविल लायबलिटी) तक की सर्तकता जांच प्रतिवेदन (वी.सी.आर) में 50 प्रतिशत राशि एवं 50,000/रू. से अधिक की वीसीआर पर 50,000 रू. तक 50 प्रतिशत व 50,000 रू. से अधिक की राशि पर 10 प्रतिशत जमा की जाकर, सर्तकता जांच प्रतिवेदन (वी.सी.आर) का निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया गया है।

उक्त सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) में अधिकाधिक राजस्व वसूली सुनिश्चित करने हेतु सभी अधिशाषी/सहायक अभियंता (ए.टी.वी.एस) एवं थानाधिकारी, विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानो को भी माह दिसम्बर 2017 तक की पैण्डिंग सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) की राजस्व निर्धारण राशि निगम आदेश क. जेपीआर5–947 में अंकित दिशा–निर्देशानुसार जमा करने के लिए निम्नानुसार तुरन्त प्रभाव से अधिकृत किया जाता है :–

1. सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) की राजस्व निर्धारण राशि (वैधानिक दायित्व + प्रशमन राशि) संबंधित अधिशाषी/सहायक अभियंता (ए.टी.वी.एस) एवं थानाधिकारी, विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना द्वारा उनके पास पूर्व से उपलब्ध ए–9 प्राप्ति रसीदों के माध्यम से योजनानुसार जमा की जा सकेगी एवं रसीद में वैधानिक दायित्व व प्रशमन का अलग अलग उल्लेख किया जावेगा।
2. सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) में राजस्व निर्धारण राशि योजनानुसार जमा करने के उपरान्त, संबंधित ए.टी.वी.एस/थानाधिकारी द्वारा उसकी सूचना तत्काल रूप से संबंधित उपखण्ड कार्यालय को लिखित में दी जावेगी, जिससे कि उपखण्ड कार्यालय द्वारा सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) के निस्तारण का आवश्यक इन्द्राज अपने रिकार्ड में किया जा सके।

3. संबंधित ए.टी.वी.एस एवं थानाधिकारी द्वारा सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) की योजनानुसार जमा की गयी राशि का उचित एवं अद्यतन रिकार्ड पृथक से संधारित किया जावेगा।

4. जिन ए.टी.वी.एस अधिकारियों के पास ए–9 प्राप्ति पुस्तिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, वे संबंधित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने से लिखित में ए–9 प्राप्ति पुस्तिका प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

5. एटीवीएस अधिकारियों द्वारा ए–9 प्राप्ति रसीदों के माध्यम से योजनानुसार जमा की गयी राशि का संबंधित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने द्वारा इन्द्राज, थाने पर संधारित छिद्रित रोकड बहियों (पी.सी.बी.) में किया जावेगा।

6. जिन सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) में मुकदमा दर्ज नहीं है, उन सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) में ए.टी.वी.एस/थानाधिकारी द्वारा योजनानुसार राशि जमा के पश्चात् ए–9 रसीद के ऊपर "NON-FIR" व "JPR5-947" अंकित किया जावेगा। जिन सर्तकता जांच प्रतिवेदनों (वी.सी.आर) में थाने पर मुकदमा दर्ज है व अभी तक माननीय न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया है, उनमें संबंधित थानाधिकारी द्वारा योजनानुसार राशि जमा करने के उपरान्त, ए–9 रसीद के ऊपर "JPR5-947" अंकित किया जावेगा।

आज्ञा से

(डॉ. आर. पी. गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (आं.अं.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ अग्रेषित है:–

1. मुख्य लेखा नियंत्रक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता, ( ), जयपुर डिस्कॉम।
3. उप मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. सचिव (प्रशासन)/कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी (वि.प्र. एवं मार्गो./राजस्व एवं नियंत्रण) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी ( )/उपनिदेशक कार्मिक ( ), जयपुर डिस्कॉम।
10. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम।
11. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स/प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
12. निजी सहायक, निदेशक (वित्त/तकनीकी), जविविनिलि, जयपुर।

23/5/18

(बी. एस. बासनीवाल)
लेखाधिकारी (नियम)